


उपखण्ड अधिकारी  
बसेड़ी (धौलपुर) राज.

04/01/2024

पत्रावली पेश हुई। वादी उपस्थित  
प्रतिवादी वकील उपस्थित। वादी को  
ठार-छाद न्याय लगाई गई। वादी  
स्वयं। वादी का कोई प्रतिनिधि उपस्थित  
नहीं हुआ। न्यायालय का समय समाप्त  
की ओर है। अतः पत्रावली अदम  
दाजरी अदम पेंरवी में खारिज की  
जाती है। पत्रावली फैशाल बुगार होकर  
दाखिल दफ्तर ही। निर्णय उच्च न्यायालय  
में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
बसेड़ी (धौलपुर) राज.